उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-5

संख्या-55/2023/845/345723/2023/12-5099/54/2022

लखनऊ: दिनांकः 07 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.05.2023 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशिका के अनुरूप एग्रीस्टैक योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी तथा राज्य, जनपद एवं तहसील स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी/क्रियान्वयन समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :-

स्टीयरिंग कमिटी -

एग्रीस्टैक योजना के सफल संचालन एवं नियमित अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी का स्वरूप निम्नानुसार गठित किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन हेतु समय समय पर आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय इस समिति द्वारा लिया जाना है :-

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्यान	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग	सदस्य/सचिव
9.	भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
10.	सचिव कृषि	सदस्य
11.	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद	सदस्य
12.	आयुक्त, गन्ना विकास विभाग	सदस्य
13.	निदेशक, उद्यान	सदस्य
14.	कृषि निदेशक	सदस्य
15.	एसईओ, एनआईसी	सदस्य

राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी डिजिटल क्रॉप सर्वे से सम्बन्धित राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कराते हुए कन्वेर्जेंस एवं कराये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण करेगी। यह कमेटी योजना के अंतर्गत व्यय के मदों एवं प्रोत्साहन की राशि का निर्धारण करने के साथ-साथ विभिन्न वित्तीय एवं प्रशासनिक नीतिगत निर्णय लेगी।

इंप्लीमेंटिंग कमेटी/क्रियान्वयन समिति -

परियोजना को संचालित करने हेतु अपर मुख्य सचिव कृषि/राजस्व (जो वरिष्ठ होंगे) के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय एक इंप्लीमेंटिंग समिति का गठन किया गया है, जो डिजिटल क्रॉप सर्वे का संचालन का अनुश्रवण करने हेतु उत्तरदायी होगी।

i - राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति - अपर मुख्य सचिव कृषि/राजस्व (जो वरिष्ठ होंगे) के अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इंप्लीमेंटिंग कमेटी निम्नानुसार गठित की जाती है :-

1.	अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग/राजस्व	अध्यक्ष (वरिष्ठतम)
2.	अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग/राजस्व	सह-अध्यक्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.	अपर मुख्य सचिव, उद्यान अथवा उनके द्वारा नामित	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित	सदस्य
5.	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद	सदस्य
6.	अपर आयुक्त, राजस्व परिषद	सदस्य
7.	आयुक्त गन्ना विकास विभाग	सदस्य
8.	निदेशक, उद्यान	सदस्य
9.	कृषि निदेशक	सदस्य/सचिव
10.	निदेशक, कृषि सांख्यकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0	सदस्य
11.	एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0	सदस्य
12.	एस0एन0ओ0 (डिजिटल एग्रीकल्चर कृषि/राजस्व)	सदस्य
13.	कृषि निदेशक द्वारा नामित दो कृषक	सदस्य

ii - जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति - जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय कमेटी निम्नानुसार गठित की जाती है :-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष/प्रोजेक्ट ऑफिसर
3.	अपर जिलाधिकारी राजस्व एवं वित्त/मुख्य राजस्व अधिकारी	सदस्य
4.	उप कृषि निदेशक	सदस्य/सचिव
5.	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
6.	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
7.	जिला गन्ना अधिकारी	सदस्य
8.	समस्त उप जिलाधिकारी	सदस्य
9.	समस्त तहसीलदार	सदस्य
10.	डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0	सदस्य
11.	अन्य सदस्य/कृषक, अध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य

iii - तहसील स्तरीय क्रियान्वयन समिति - उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तरीय इंप्लीमेंटिंग कमेटी निम्नानुसार गठित की जाती है :-

1.	उप जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी	सदस्य
3.	तहसीलदार	सदस्य/सचिव
4.	नायब तहसीलदार	सदस्य
5.	राजस्व विभाग के क्राप सर्वे क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक	सदस्य
6.	अन्य सदस्य/कृषक, अध्यक्ष/जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य

राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (डिजिटल एग्रीकल्चर), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. अपर मुख्य सचिव सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान, उ0प्र0 शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
11. आयुक्त, गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
12. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. कृषि निदेशक उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
14. निदेशक, उद्यान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
15. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0
16. एस0आई0ओ0, एनआईसी, लखनऊ।
17. समस्त, जिलाधिकारी/समस्त मुख्य विकास अधिकारी/समस्त अपर जिलाधिकारी राजस्व एवं वित्त/समस्त मुख्य राजस्व अधिकारी/समसत उप कृषि निदेशक/समस्त जिला कृषि अधिकारी/समस्त जिला उद्यान अधिकारी/समस्त जिला गन्ना अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त तहसीलदार/समस्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी/समस्त तहसीलदार/ समस्त नायब तहसीलदार/समस्त राजस्व विभाग के क्राप सर्वे क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक/समस्त डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश **द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।